समाहरणालय, दरभंगा
(जिला स्थापना शाखा)

दिनांक–04.10.2016 को आयोजित समाहरणालय के प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ गत पाक्षिक कार्यों एवं विभागीय कार्यवाही की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

क्र०सं०	लिए गए निर्णय का सारांश	अनुपालन हेतु संबद्ध पदाधिकारी
1	2	3
01.	**स्थापना :–** (क) विभागीय कार्यवाही :– (1) श्री सोहन बैठा, तत्कालीन लिपिक, अनुमंडल कार्यालय सदर के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को देखकर संचिका उपस्थापित की जाय। (2) श्री कृष्णचन्द्र लाल दास, सेवानिवृत्त लिपिक के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को देखकर संचिका उपस्थापित की जाय। (3) श्री राघव कुमार, लिपिक, केवटी अंचल के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को देखकर स्थिति के संबंध में संचिका प्रस्तुत की जाय। (4) राजस्व कर्मचारियों का नाम प्रोन्नति हेतु भेजा जाना है।संबंधित अंचल अधिकारियों से स्नातक उत्तीर्ण राजस्व कर्मचारियों की सूची उनकी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति के साथ प्राप्त कर संचिका प्रस्तुत की जाय। (5) जनसेवकों की प्रोन्नति हेतु विशेष चारित्रिक प्राप्त करने की कार्रवाई की जाय।	स्थापना उप समाहर्त्ता,दरभंगा।
02	(ख) पंचायत शाखा,दरभंगा। (1) पंचायत सचिव के विरुद्ध संचालित सभी लंवित विभागीय कार्यवाही को देखकर संचिका प्रस्तुत की जाय। (2) पंचायत सरकार भवन को अविलंब हस्तान्तरित करने की कार्रवाई की जाय। (3) पंचायत सचिवों के लंवित ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 के मामलो को देखकर संचिका प्रस्तुत की जाय। इन कर्मियों का नाम प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के पदो पर प्रोन्नति हेतु भेजा जाना है। (4) बिरौल एव बहेड़ी को नगर पचायत का दर्जा दिलाये जाने से संबंधित संचिका को प्रस्तुत की जाय।	जिला पंचायत राज पदाधिकारी,दरभंगा।
03	(ग) जिला राजस्व शाखा:– (1) पुलिस उपाधीक्षक, (मु0),जिला अल्पसंख्यक कल्याण, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के आवासीय भूमि का एन0ओ0सी0 लेना है,जिसपर कार्रवाई की जाय। (2) कर्पूरी छात्रावास,जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, उपकारा बिरौल की जमीन ढूढकर प्रस्ताव प्राप्त की जाय। (3) बिरौल अनुमंडल के आवासीय परिसर हेतु 03 तीन एकड़ जमीन उपलब्ध कर प्रस्ताव प्राप्त की जाय। (4) बिरौल अनुमंडल,व्यवहार न्यायालय की जमीन का सहमति प्राप्त हो गई है। हस्तानान्तरण एवं सीमांकन कराने की कार्रवाई की जाय। (5) अलीनगर थाना भवन निर्माण हेतु जमीन का प्रस्ताव स्वीकृत होकर आ गया है, जिसपर कार्रवाई की जाय।	प्रभारी पदाधिकारी,जिला राजस्व शाखा,दरभंगा।

	(6) दरभंगा बस स्टेण्ड, दिल्ली मोड़ का सुरक्षित जमा निर्धारण का प्रस्ताव अलग-अलग प्राप्त हो चुका है,जिसपर कार्रवाई की जाय। (7) केन्द्रीय विद्यालय-02 की भूमि का हस्तानान्तरण प्रस्ताव आयुक्त महोदय, दरभंगा प्रमंडल,दरभंगा को भेजा जाना है,जिसपर अविलंब कार्रवाई की जाय। (8) कम्प्युटराईजेशन कार्य बाकी है। हल्का मौजावार राजस्व ग्रामों का इन्ट्री कार्य करना है,जिसपर अविलंब कार्रवाई की जाय। (9) दरभंगा बस स्टेण्ड के बाउण्ड्री के बगल में आवासीय घर,दूकान बनाये जा रहे है। अंचल अधिकारी,सदर दरभंगा से स्थलीय जांचोपरांत एवं राजस्व अभिलेखों के अवलोकनोपरांत उनसे प्रतिवेदन की माग की जाय। यदि बस स्टेण्ड की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया हो,तो विधिवत अतिक्रमण खाली कराने की कार्रवाई की जाय।	
04	**(घ) जिला विधि शाखाः–** (1) माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित सी0डब्लू0जे0 सी0/एम0 जे0सी0 के आदेश पर अविलंब अनुपालन की जाय। (2) दरभंगा बस स्टैण्ड की जमीन के मामला को अविलंब देखी जाय। (3) बस पड़ाव की जमीन के बारे में आयुक्त महोदय, दरभंगा प्रमण्डल दरभंगा को स्थिति के संबंध में पत्र भेजी जाय। (4) सहायक लोक अभियोजक एव विशेष लोक अभियोजक की विवरणी नई प्रपत्र में भेजी जाय। (5) डी0एम0सी0एच0 के लंबित मामला में एस0डी0ओ0 /एस0डी0पी0 ओ0 एवं अधीक्षक, डी0एम0सी0एच0 को एम0जे0सी0 के मामला का उल्लेख कर एव तिथि निर्धारित कर संचिका में प्रस्तुत की जाय। (6) स्टाम्प से संबंधित कार्यो को देखी जाय।	प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा,दरभंगा।
05.	**(ङ) जिला सामान्य शाखा, दरभंगा।** (1) शस्त्र अनुज्ञप्ति का स्थानान्तरण के प्राप्त आवेदनो पर निष्पादन अविलंब करने की कार्रवाई की जाय। (2) मृत चौकिदारों/दफादारों के आश्रितो को अनुकम्पा पर नियुक्ति हेतु बैठक की तिथि निर्धारित कर संचिका प्रस्तुत की जाय। (3) चौकिदारों/दफादारों के लंबित ए0सी0पी0/एम0ए0सी0 पी0 प्रोन्नति के मामलो को देखकर संचिका प्रस्तुत की जाय। (4) प्राप्त आवेदनो के आलोक में चरित्र प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु भेजा गया है, जिसपर सत्यापन प्रतिवेदन अप्राप्त है। इस संबंध में स्मार पत्र प्राप्त हो रहें हैं। पुराने बीस मामलो को निकाल कर देखी जाय, जिनसे सत्यापन प्रतिवेदन अबतक प्राप्त नहीं हुए है, उन्हें स्मार पत्र भेजी जाय। **लंबित पत्रः–** (5) समीक्षा के क्रम में श्री अभय कुमार एवं श्री नरेश चौधरी, लिपिक के पास सबसे अधिक लंबित पत्र पाया गया। लंबित पत्रों पर अनुपालन अविलंब की जाय। (6) आगत/निर्गत पंजी/कर्मपुस्तिका का साप्ताहिक अवलोकन की जाय। (7) स्वतंत्रता सैनानियों को परिचय पत्र दिया जाना है, जिसपर कार्रवाई की जाय। (8) बहेड़ी बाजार में अवस्थित बैंक को आर्म्स का अनुज्ञप्ति देना	प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा, दरभंगा।

	है, जिसपर कार्रवाई की जाय। (9) लंबित डी0सी0 विपत्र को अविलंब देखकर कार्रवाई की जाय।	
06.	(च) **जिला अभिलेखागार,दरभंगा।** (1) अभिलेखागार में रखें अभिलेखो को व्यवस्थित करने की कार्रवाई की जाय। (2) नई फोटो स्टेट मशीन की क्रय हेतु संचिका उपस्थापित की जाय।	प्रभारी पदाधिकारी,जिला अभिलेखागार,दरभंगा।
07.	(छ) **जिला नजारत शाखा,दरभंगा।** (1) सरकारी Condemn वाहनो की नीलामी हेतु बैठक से संबंधित संचिका प्रस्तुत की जाय। (2) लंबित ए0सी0/डी0सी0 विपत्रों को Monitoring अविलंब कर अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय। (3) जिला अतिथि गृह सर्किट हाउस की राशि का भुगतान किया जाना है। जॉचकर संचिका प्रस्तुत की जाय। संवेदक को तत्काल Advance के रूप में राशि भुगतान करने की कार्रवाई की जाय। (4) सर्किट हाउस का औचक निरीक्षण समय–समय पर की जाय। आगत अतिथियों को संवेदक द्वारा निर्धारित सुविधा उन्हें उपलब्ध कराई जाती है अथवा नहीं ? उसे भी देखी जाय। (5) Intercom खराब है, जिसकी मरम्मती अविलंब करायी जाय।	नजारत उप समाहर्त्ता,दरभंगा।
08.	(ज) **आपदा प्रबंधन,दरभंगा।** (1) क्षतिपूर्ति मुआवजा के 04 लंबित मामला है, जिसपर अविलंब कार्रवाई की जाय। (2) नाव/नाविको का भुगतान हो गया है। नाव वापस करने के लिए पत्र भेजी जाय। (3) पोलीथीन,चूड़ा,गुड़ की राशि का भुगतान की जाना है, जिसका भाउचर्स देखकर कार्रवाई की जाय। (4) बिरौल अंचल को कितनी नावें दी गई थी, उसकी जांच कराकर प्रतिवेदन प्राप्त की जाय। (5) इस वर्ष जितने की मृत्यु हुई है,उनसे संबधित अभिलेखों को अंचलों से प्राप्त कर नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई की जाय।	प्रभारी पदाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन, दरभंगा।
09.	(झ) **सामाजिक सुरक्षा कोषांग, दरभंगा।** (1) डेटा डिटीलाईजेशन के कार्यों में प्रगति लाने की कार्रवाई की जाय। (2) उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने की कार्रवाई की जाय। (3) कबीर अन्तेयष्टि योजना की उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की कार्रवाई की जाय। (4) प्रत्येक पाक्षिक बैठक हेतु प्रतिवेदन निश्चित रूप से जिला स्थापना शाखा, दरभंगा को प्राप्त कराई जाय।	सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग,दरभंगा।
10	(ञ) **जिला निर्वाचन, दरभंगा।** (1) 01.01.2017 की अर्हता तिथि के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम प्रारंभ है। प्राप्त पत्रों के आलोक में कार्रवाई की जाय। (2) माननीय उच्च न्यायालय के लंबित CWJC मामला पर कार्रवाई की जाय।	उप निर्वाचन पदाधिकारी, दरभंगा।

11	**(ट) जिला विकास शाखा,दरभंगा।** (1) पृच्छा के क्रम में बताया गया कि पुरानी संचिका को ढूंढा जा रहा है। 05 कर्मी कार्यरत है, परन्तु कार्यो में प्रगति नहीं है। कर्मियों के नाम संधारित लॉग बुक की साप्ताहिक जॉच कर लंबित पत्रों पर अनुपालन कराना सुनिश्चित की जाय।	प्रभारी पदाधिकारी,जिला विकास शाखा, दरभंगा।
12	**(ठ) शाखा का निरीक्षण :–** (1) सभी प्रभारी पदाधिकारी अपने शाखा का निरीक्षण कर निरीक्षण टिप्पणी भेजना सुनिश्चित करेगें।	संबंधित सभी शाखाओं के प्रभारी पदाधिकारी, दरभंगा।
13	**(ड)** (1) जिला योजना पदाधिकारी, जिला राजस्व, जिला नजारत, जिला प्रोग्राम, जिला मध्याह्न भोजन योजना पदाधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, दरभंगा आज की बैठक में अनुपस्थित है। इनसे स्पष्टीकरण पूछी जाय। (2) सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, दरभंगा से पाक्षिक प्रतिवेदन अप्राप्त है। इनसे भी स्पष्टीकरण पूछी जाय।	स्थापना उप समाहर्त्ता, दरभंगा।
15	**(ढ) जिला भू–अर्जन, दरभंगा:–** (1) एस0एच0 राज्य उच्च पथ–88 हेतु भूमि अर्जन की प्रक्रिया को पूर्ण कराना सुनिश्चि की जाय। (2) गण्डौल–बिरौल पूल से संबंधित भू–अर्जन की प्रक्रिया में तेजी लाकर अधिसूचना जारी करने हेतु कार्रवाई की जाय। (3) तारडीह प्रखण्डान्तर्गत ठेंगहा पूल की राशि का भुगतान किया जाना है, जिस हेतु कार्रवाई की जाय। (4) 10 दस पूलों का भू–अर्जन की प्रक्रियाँ को पूर्ण कराने की कार्रवाई की जाय। (5) दरभंगा ByPass, रामनगर विद्युत ग्रिड सब स्टेशन एवं अन्य विद्युत उपकेन्द्रों की भूमि का दर निर्धारण कर प्रस्ताव भेजा जाना है, जिस हेतु कार्रवाई की जाय।	जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा।
16	**(ण) जिला कल्याण,दरभंगा:–** (1) पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान करने की कार्रवाई की जाय। (2) राज्य से बाहर अध्ययनरत छात्रा/छात्राओं की छात्रवृत्ति की राशि के भूगतान हेतु कुल–322 आवेदनों में 30% का जॉच प्रतिवेदन सत्यापन के पश्चात् प्राप्त होना बताया गया, जिसपर कार्रवाई की जाय। (3) राज्य के अंदर अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के कल्याण छात्रवृत्ति की राशि को भुगतान हेतु कार्रवाई की जाय। (4) भुगतान की गई छात्रवृत्ति की राशि को संबंधित बैंको से सत्यापन कराने की कार्रवाई हेतु पत्र भेजी जाय।	जिला कल्याण पदाधिकारी,दरभंगा
17.	**(प) उत्पाद विभाग:–** (1) नये उत्पाद अधिनियम के अतर्गत निर्गत पत्रों के आलोक में रेड कर पकड़े गये व्यक्तियों पर विधिवत केस करने की कार्रवाई की जाय।	अधीक्षक, उत्पाद दरभंगा।

जिलाधिकारी,
दरभंगा।

ज्ञापांक 1574 / स्था० दिनांक 17 ~~जुलाई~~ अक्टूबर —2016

प्रतिलिपि :— जिला मुख्यालय के सभी प्रशाखा प्रधान/प्रखंडों के प्रभारी वरीय पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :— अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर/बेनीपुर/बिरौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :— जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, दरभंगा को जिला के बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,
दरभंगा।